अध्याय 4
जाली/दोहरे कनेक्शनों को समाप्त करना

एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 (यथा संशोधित) एक घर में एक एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन की अनुमति देता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घर में एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन रखना वर्जित करता है। सभी तीन ओएमसी में विशिष्टता बनाये रखते हुए प्रत्येक घरेलू एलपीजी कनेक्शन का विशिष्ट उपभोक्ता आईडी है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस में रिकॉर्ड किये गये मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ नाम, पता, आधार संख्या और बैंक खाता संख्या भी शामिल है। एकाधिक कनेक्शन तब होते हैं जब दो या अधिक एलपीजी उपभोक्ता आईडी एक ही उपभोक्ता से जुड़े पाये जाये जो समान आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, नाम और पते के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं। नियंत्रण आदेश को क्रियान्वित करने के लिये और सब्सिडी व्यय सीमित करने के लिये, एलपीजी पर सब्सिडी प्राप्त करने वाले एकाधिक कनेक्शनों का पता लगाना और ऐसे कनेक्शनों को बंद करने/काटने के लिये आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने वितरक के 34 *प्रतिशत* नमूनों को कवर करते हुये एकाधिक उपभोक्ता कनेक्शन की जांच की। निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा दोहरीकरण कम करने का कार्य किया गया था:

- 'समान आधार नंबर',
- 'समान बैंक खाता संख्या और आईएफएससी[1]',
- 'समान नाम और समान पता',
- 'समान नाम, जन्म तिथि और रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर'.

उपरोक्त मापदंड का प्रयोग करके विश्लेषण के आधार पर एकाधिक एलपीजी कनेक्शनों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है:

[1] आईएफएससी का अर्थ है 'भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड'

4.1 समान आधार नंबर और समान बैंक खाता संख्या के आधार पर एकाधिक कनेक्शनों का पता लगाना

पहल (डीबीटीएल) योजना के शुरू होने से, उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ लेने के लिये एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस के साथ अपने बैंक खाते का विवरण जोड़ना आवश्यक है। यदि, उपभोक्ता के पास आधार नंबर है, तो वो भी उपभोक्ता डाटाबेस से लिंक होना चाहिये। ऐसे उपभोक्ताओं को कैश ट्रांसफर कम्पलाइंट (सीटीसी) उपभोक्ता के रूप में नामित किया जाता है जो सब्सिडी को अपने निर्दिष्ट बैंक खाते में डालने के लिये पात्र हो जाते है।

एकाधिक कनेक्शनों का पता लगाना सुनिश्चित करने के लिये, ओएमसी ने आधार नंबर के आधार पर अपने संबंधित डाटाबेस (इंट्रा ओएमसी डी-डुप्लिकेशन) में मई 2013 में डी- डुप्लिकेशन कार्य शुरू किया। पहल के शुरू होने के बाद, ओएमसी ने आधार नंबर पर इंटर-ओएमसी डी-डुप्लिकेशन कार्य भी शुरू किया, जो मई 2014 में शुरू हुआ। बाद में, 2015 में, बैंक आईएफएससी और खाता संख्या डी-डुप्लिकेशन भी शामिल किया गया था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि ओएमसी आधार नंबर और बैंक खाता संख्या पर इंट्रा और इंटर ओएमसी डी-डुप्लिकेशन कर रहा है, ओएमसी से लेखापरीक्षा को प्राप्त उपभोक्ता डाटाबेस में एकाधिक कनेक्शन अपेक्षित नहीं थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने चयनित नमूना (ओएमसी के 34 *प्रतिशत* वितरकों) में एकाधिक कनेक्शनों के मामले देखे।

4.1.1 इंट्रा ओएमसी डी-डुप्लिकेशन

लेखापरीक्षा ने ओएमसी के संबंधित डाटाबेस में समान आधार नंबर और बैंक खाता संख्या वाले एकाधिक मामले देखे। यह देखा गया था कि कुछ मामलों में, एकाधिक कनेक्शनों में से एक 'सक्रिय' था जबकि अन्य कनेक्शन को 'हस्तांतरित' या 'इन-ट्रांसिट' के रूप दर्शाया गया था। इन मामलों में सब्सिडी केवल 'सक्रिय' कनेक्शन के लिये दी गई थी जबकि भविष्य में उपभेक्ताओं द्वारा ऐसी सब्सिडी का लाभ लेने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। जहां दो या अधिक एकाधिक कनेक्शन 'सक्रिय' थे, सिलेंडर का वितरण जारी रहा और इन 'सक्रिय' एकाधिक कनेक्शनों के संबंध में सब्सिडी ट्रांसफर होती रही।

(i) **समान आधार नंबर वाले एकाधिक कनेक्शन-** यह देखा गया कि एचपीसीएल में जांच किये गये नमूनों में दोहरे कनेक्शन दर्शाते हुये 700 आधार नंबर के साथ लिंक 1400 एलपीजी उपभोक्ता थे। इन दोहरे कनेक्शनों का विस्तारपूर्वक विवरण नीचे पाई चार्ट में दर्शाया गया है।

चित्र-3: एचपीसीएल में दोहरे एलपीजी कनेक्शन का विस्तारपूर्वक विवरण

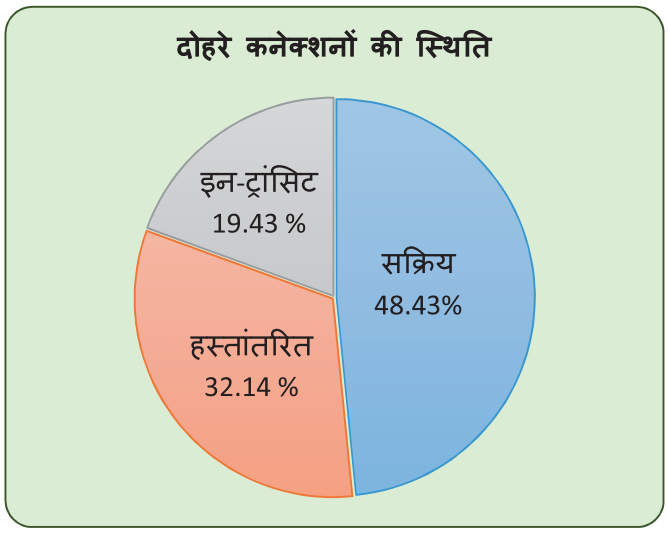

जैसा कि रेखाचित्र से देखा गया, करीब आधे दोहरे कनेक्शनों अर्थात 48.43 *प्रतिशत* की स्थिति "सक्रिय" थी, जबकि 32.14 *प्रतिशत* और 19.43 *प्रतिशत* दोहरे कनेक्शन क्रमश: 'हस्तांतरित' और 'इन-ट्रांसिट' हैं। यह सभी दोहरे कनेक्शन सब्सिडी वाले रीफिल की आपूर्ति का लाभ ले सकते हैं और इस प्रकार अनुचित लाभ मिलेगा।

बीपीसीएल में जांच किये गये नमूने समान आधार नंबर से लिंक किये गये कोई भी एकाधिक 'सक्रिय' कनेक्शन नहीं दर्शाते।

आईओसीएल द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा (दिसम्बर 2015/जनवरी 2016), समान आधार संख्या पर एकाधिक कनेक्शन होना दर्शाता है। तथापि, आईओसीएल ने उत्तर में (अप्रैल/मई 2016) स्पष्ट किया कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया डाटा, डाटा वेयरहाउस (साइबेस आईक्यू) से था और इन एकाधिक कनेक्शनों को आधार संख्या फील्ड पर विशेष चिह्न लगाकर ओरेकल उत्पादन डाटा से बाहर किया गया है। आईओसीएल के तर्क की लेखापरीक्षा द्वारा पुष्टि की गई और स्वीकार्य पाया गया। इस प्रकार, समान आधार संख्या पर एकाधिक कनेक्शन आईओसीएल के उत्पादन सर्वर में नहीं देखे गये थे। तथापि यह नोट करना आवश्यक है कि जब नमूना डाटा आईओसीएल से मांगा गया था, लेखापरीक्षा को

सटीक डाटा उपलब्ध कराना चाहिये। इसके अतिरिक्त, एकाधिक डाटाबेस में समान उपभोक्ताओं के लिये अलग डाटा बनाने का तर्क लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं था।

एचपीसीएल, ने अपने उत्तर में (अप्रैल/मई 2016) कहा कि चिन्हीत किए गए दोहरे कनेक्शनों के संबंध में डुप्लिकेट उपभोक्ता को हटा दिया गया और सब्सिडी का भुगतान रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त, आधार नंबर सही करने के लिये कहा गया और गलत सीडिंग करने के लिये वितरक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एचपीसीएल ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और उन मामलों में जहां दोनों दोहरे कनेक्शन 'सक्रिय' थे में सुधारात्मक कार्यवाही की। इस पर जोर दिया गया कि अन्य मामलों में जहां दोहरे कनेक्शनों में से केवल एक 'सक्रिय' है और अन्य 'हस्तांतरित' या 'इन-ट्रांसिट' है; भविष्य में दोहरी सब्सिडी भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में भविष्य में ऐसी संभावना को पहले ही रोकने के लिये विशेष सुरक्षा उपाय आवश्यक है।

(ii) समान बैंक आईएफएससी और समान बैंक खाता संख्या वाले एकाधिक कनेक्शन

आईओसीएल डाटाबेस में से चयनित नमूनों में, 43,323 एलपीजी उपभोक्ता आईडी, 21,504 बैंक आइएफएससी और बैंक खाता संख्या से लिंक किये हुये पाये गये। लेखापरीक्षा ने मामले देखे जहां दो कनेक्शनों से अधिक एक ही बैंक आईएफएससी और समान बैंक खाता संख्या जुडे थे। इसमें 12 सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता आईडी से जुडे चार अलग-अलग बैंक खाते, दो मामले जहां बैंक खाता क्रमश: 11 और 16 'सक्रिय' एलपीजी आईडी से जुड़ा था, शामिल थे। दोहरे कनेक्शनों का विस्तारपूर्वक विवरण नीचे पाई चार्ट में दर्शाया गया है।

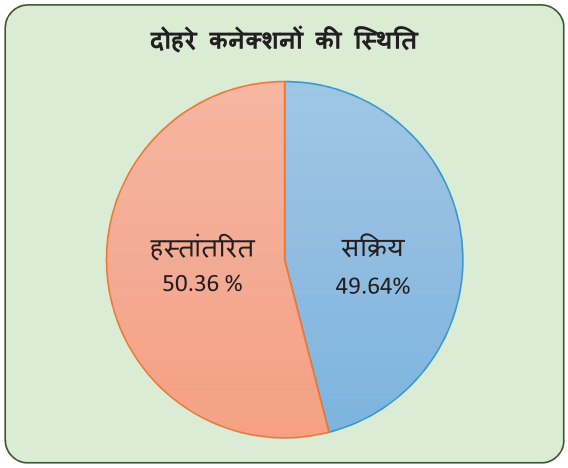

चित्र-4: दोहरे कनेक्शनों का विस्तारपूर्वक विवरण (आईओसीएल)

जैसा ग्राफ से देखा गया, 49.64 *प्रतिशत* दोहरे कनेक्शन 'सक्रिय' थे जबकि शेष 50.36 *प्रतिशत* दोहरे कनेक्शन 'हस्तांतरित' स्थिति में थे। यह सभी दोहरे कनेक्शन सब्सिडी रीफिल

की आपूर्ति का लाभ उठा सकते हैं और इस प्रकार अनुचित लाभ मिलेगा।

एचपीसीएल में चयनित नमूनों में, 14,198 एलपीजी उपभोक्ता आइडी, 6,614 बैंक आईएफएससी और खाता संख्या से जुड़े पाये गये थे। एचपीसीएल में मामले में भी लेखापरीक्षा ने दृष्टांत देखे जहां एक बैंक आईएफएससी तथा उसी बैंक खाता संख्या से दो से अधिक कनैक्शन जुड़े हुए थे। आगे संवीक्षा से पता चला कि 7,584 डूप्लीकेट कनैक्शनों में से, 7,561 कनैक्शन (99.70 *प्रतिशत)* 'सक्रिय' स्थिति में थे जबकि शेष 23 कनैक्शन ''अन्तरित/अन्तरण में'' की स्थिति में थे। ये डूप्लीकेट कनैक्शन छूट प्राप्त रिफिल की आपूर्ति प्राप्त कर सकते थे तथा इस प्रकार अनुचित लाभ ले सकते थे।

बीपीसीएल में जांच किया गया नमूना समान बैंक आईएफएससी तथा समान बैंक खाता संख्या वाले बहुविध सक्रिय एलपीजी कनैक्शन नहीं दर्शाता।

आईओसीएल ने अपने उत्तर (अप्रैल/मई 2016) में बताया कि पहल (डीबीटीएल) योजना की शुरूआत के समय बहुविध उपभोक्ताओं के लिए एक ही बैंक खाता देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। यह विचार करते हुए कि उक्त प्रणाली के दुरूपयोग का जोखिम था, बाद में इन्ट्रा-तथा अन्तर-कम्पनी आधार पर बैंक खाता संख्या को एक यूनीक फील्ड के रूप में रखने के साथ डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। डाटा विश्लेषण के पश्चात, ओएमसीज ने मई 2015 के माह में समान बैंक खाता संख्या के आधार पर चिन्हित बहुविध कनैक्शनों को बन्द करना प्रारंभ किया। वर्तमान में, बैंक की खाता संख्या तथा एलपीजी उपभोक्ता आईडी (केवल घरेलू श्रेणी के लिए) के बीच सीधा संबंध लागू किया गया है। तथापि, कुछ एनडीईसी[1] उपभोक्ता हैं, जिनके लिए क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय जांच के पश्चात समान बैंक आईएफएससी तथा खाता संख्या से बहुविध कनैक्शन जोड़ने के लिए अनुरोध का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत थे।

[1] गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) उपभोक्ताओं में अस्पताल, छात्रावास, मिड-डे मील योजना हेतू आपूर्तियां, सरकारी कार्यालय कैन्टीन, पुलिस,सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के मैस, रक्षा प्रतिष्ठान, धर्मार्थ संस्थान इत्यादि शामिल हैं। एनडीएनई उपभोक्ता एलपीजी सिलैण्डरों पर सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।

एचपीसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2016) कि ये मामले निम्नलिखित के कारण थे:

(i) बहुविध कनैक्शन वाले उपभोक्ता जिनके दोनों/दूसरे वितरकों के पास कनैक्शन थे, जिन्हें अब बन्द कर दिया गया है।

(ii) कुछ उपभोक्ता बैंक द्वारा गलत प्रविष्टियों तथा योजना कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों में डी-डूप्लीकेशन/प्रमाणीकरण जांच की अनुपस्थिति के कारण दो उपभोक्ताओं के प्रति दिए गए साझे बैंक खाते के साथ आधार कैश ट्रांसफर कम्पलाईन्ट उपभोक्ता थे। ऐसे उपभोक्ताओं को अब अपने बैंक खातों में सही आधार संख्या देने के लिए कहा गया है। कुछ मामलों में वितरक द्वारा अपनी प्रणाली में संशोधित बैंक विवरण देकर कार्यवाही किया जाना बताया गया है। एचपीसीएल ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित सभी डूप्लीकेट बैंक खातों को बन्द कर दिया गया है तथा मामला दर मामला आधार पर उचित जांच के पश्चात ही सक्रिय किये जा रहे थे, क्योंकि लाभार्थियों के संयुक्त खाता स्वामी होने अथवा अलग अलग घर वाले उपभोक्ता होने के मामले में कुछ खाते वैध हो सकते थे। ऐसे उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत खाता संख्या उपलब्ध कराने की सलाह दी जा रही थी। एचपीसीएल ने 31 मई 2016 तक यह प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया।

ओएमसीज के उत्तर को निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जाना हैः

- आईओसीएल का यह तर्क कि बैंक आईएफएससी तथा बैंक खाता संख्या और उपभोक्ता आईडी का सीधा संबंध सुनिश्चित किया गया है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित बहुविध कनैक्शन जनवरी 2016 से संबंधित है, जो प्रबंधन द्वारा बताई गई बहुविधि कनेक्शनों को बंद किए जाने की तिथि अर्थात् मई 2014 से काफी समय बाद है। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस पर विचार किया गया है, अतः एनडीईसी उपभोक्ताओं के सम्मिलन की संभावना, जैसाकि उत्तर में बताया गया था, दूरस्थ थी।
- लेखापरीक्षा के कहने पर एचपीसीएल द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही नोट की गई है।

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दोहराती है कि एक बैंक आईएफएससी तथा बैंक खाता एक एलपीजी उपभोक्ता आईडी से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, 'अन्तरित' के रूप में अभिनिहित बहुविध कनैक्शनों की भारी संख्या का समाधान करने की आवश्यकता है जहां भविष्य में सब्सिडी के भुगतान की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(iii) समान नाम तथा पते के आधार पर डूप्लीकेट कनैक्शनों का अभिनिर्धारण

नेशनल इंफारमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने बहुविध कनैक्शनों वाले परिवारों को चिन्हित करने के लिए दो मानदण्डों नामतः समान नाम समान पता (एसएनएसए) तथा अलग नाम समान पता (डीएनएसए), पर जून 2012 में डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया प्रारंभ की। जुलाई 2015 से, यह डी-डूप्लीकेशन नये एलपीजी कनैक्शनों के लिए ऑनलाईन तथा वास्तविक आधार पर किया जा रहा था।

नाम तथा पते के विशिष्ट मानदण्डों पर डी-डूप्लीकेशन करने के लिए, एनआईसी ने तीन ओएमसीज से डाटा प्राप्त किया तथा इसे एक संयुक्त फार्मेट में रूपान्तरित किया, इसका मानकीकरण किया तथा डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया करने के लिए नाम एवं पते के प्रति उपलब्ध सूचना की पर्याप्तता का निर्धारण किया। तब उपभोक्ताओं को समान नाम समान पता' (एसएनएसए) तथा 'अलग नाम समान पता' (डीएनएसए) श्रेणियों में प्रत्येक के अन्तर्गत निकट एवं दूर की एक उप-श्रेणी के साथ अलग अलग करने के लिए 'अस्पष्ट तर्क' कलन विधि का प्रयोग किया गया था। 'अपने उपभोक्ता को जानिए' (केवाईसी[1]) की आगे जांच के लिए 'संदेहास्पद सूची' के रूप में डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया का परिणाम आवधिक रूप से ओएमसीज को सूचित किया गया था।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एनआईसी द्वारा डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया वास्तविक समय आधार पर की गई है (जूलाई 2015 से), यह अपेक्षा की जा सकती थी कि ओएमसीज द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटाबेस में इन मानदण्डों पर (एसएनएसए तथा डीएनएसए) कोई डूप्लीकेट नहीं होगें। लेखापरीक्षा ने एसएनएसए पर वितरक डाटाबेस के 34 प्रतिशत के नमूने

[1] अपने उपभोक्ता को जानिये (केवाईसी) में पीओए-पते का प्रमाण तथा पीओआई-समर्थित दस्तावेजों के साथ पहचान का प्रमाण पर सूचना शामिल है।

की संवीक्षा की तथा समान नाम तथा समान पते के अनेक सटीक मेल (100 प्रतिशत) पाये। यह तीनों ओएमसीज में देखा गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-4: ओएमसीज में एसएनएसए डूप्लीकेट के विवरण

ओएमसी का नाम	एसएनएसए के साथ उपभोक्ताओं की संख्या	कॉलम 2 में उपभोक्ताओं से जुड़े एलपीजी कनैक्शनों की संख्या
(1)	(2)	(3)
आईओसीएल	6,364	13,949
एचपीसीएल	586	1,193
बीपीसीएल	8,935	19,587
कुल	**15,885**	**34,729**

लेखापरीक्षा ने समान नाम तथा पते वाले बहुविध कनैक्शनों को चिन्हित करते समय केवल 'सक्रिय' एलपीजी उपभोक्ताओं पर विचार किया है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2016):

- आईओसीएल ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची की स्पष्ट रूप से जांच करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एसएनएसए के रूप में कनैक्शन को चिन्हित करने के लिए अधिकतर मामलों में 'पता' फील्ड में उपलब्ध डाटा पर्याप्त नहीं था। इन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पते पर्याप्त नहीं थे, केवाईसी पूरा करने की आवश्यकता थी जिसके पश्चात ही डी-डूप्लीकेशन परिणाम सही 'संदेहास्पद सूची' दर्शायेगें। उन्होंने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित कनैक्शनों को केन्द्रीय सर्वर से बन्द कर दिया गया है ताकि संबंधित उपभोक्ताओं से नये केवाईसीज प्राप्त किये जा सकें तथा फील्ड जांच के पश्चात ही उन्हें नियमित किया जाएगा।
- बीपीसीएल ने बताया कि लिगेसी डाटा जो वर्तमान प्रणाली में अन्तरित किया गया है, में पूरा नाम तथा पता नहीं था तथा इस सीमित डाटा के साथ, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था कि क्या ये बहुविध कनैक्शन थे। इन उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी को पूरा किये जाने की आवश्यकता है और तब ही यह डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया कर सकता है।

- एचपीसीएल ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित सभी मामले ठीक किये गए है अथवा बन्द कर दिये गए हैं।

जैसा कि उत्तरों से देखा जा सकता है, ओएमसीज ने 'नाम'तथा 'पता' फील्ड में सूचना की अपर्याप्तता पर बल दिया था जिससे एनआईसी द्वारा डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। अतः, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया काफी पहले जून 2012 में प्रारंभ कर दी गई थी, उपभोक्ताओं के प्रभावी डी-डूप्लीकेशन के लिए सटीक उपभोक्ता सूचना सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता डाटाबेस को सही करने की तत्काल आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर एचपीसीएल द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही को नोट किया गया है।

(iv) उपभोक्ताओं के नाम, जन्म तिथि, पंजीकृत मोबाईल नम्बर के आधार पर बहुविध कनैक्शनों का अभिनिर्धारण

एनआईसी द्वारा की गई डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया दो महत्त्वपूर्ण मानदण्डों नामतः उपभोक्ता के 'नाम' तथा 'पते' पर थी। ओएमसीज ने भी आधार संख्या तथा बैंक आईएफएससी तथा बैंक खाता संख्या पर इन्ट्रा तथा अन्तर ओएमसी डी-डूप्लीकेशन किया था। लेखापरीक्षा ने डाटाबेस में बहुविध कनैक्शनों की उपस्थिति की जांच करने के लिए मानदण्डों के अलग समूह पर विचार किया था। लेखापरीक्षा द्वारा विचार किये गए मानदण्ड ''समान नाम समान जन्मतिथि (डीओबी'' तथा 'समान पंजीकृत मोबाईल नम्बर' थे। मानदण्डों के इस संयोग को इस लिए चुना गया था क्योंकि यह आशा की गई थी कि इन तीन मानदण्डों का संयोग एक व्यक्ति के लिए अद्वीतीय होने की अत्यधिक संभावना थी। 34 प्रतिशत चयनित नमूने में ऐसे संयोग की जांच ने बहुविध कनैक्शनों की उपस्थिति दर्शायी जैसा नीचे तालिकाबद्ध किया गया है। लेखापरीक्षा ने विश्लेषण हेतू केवल 'सक्रिय' उपभोक्ताओं पर विचार किया है।

तालिका-5: ओएमसीज में समान नाम, डीओबी तथा मोबाईल नम्बर वाले कनैक्शनों का विस्तारपूर्वक विवरण

ओएमसी का नाम	साझे मानदण्ड वाले उपभोक्ताओं की संख्या	कालम 2 में उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध एलपीजी कनैक्शनों की संख्या
(1)	(2)	(3)
आईओसीएल	6,322	13,163
एचपीसीएल	4,830	11,128
बीपीसीएल	19	38
कुल	**11,171**	**24,329**

ओएमसीज ने निम्नलिखित उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2016):

(i) आईओसीएल ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में अधिकतर संदेहास्पद लोगों के नाम समान थे परन्तु पता अलग अलग था, इसलिए इन कनैक्शनों को एनआईसी की वर्तमान डी-डूप्लीकेशन प्रणाली में चिन्हित नहीं किया गया था। आईओसीएल ने आगे बताया कि वर्तमान डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया के अनुसार, एक संदेहास्पद को चिन्हित करने के लिए मोबाईल नम्बर का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जन्म तिथि (डीओबी) को प्रणाली में उपयुक्त रूप से ग्रहण नहीं किया गया था क्योंकि लिगेसी डाटा को वर्तमान प्रणाली में डाटा साफ किये बिना ही अन्तरित किया गया था तथा इस प्रकार डीओबी को डी-डूप्लीकेशन के लिए फील्ड के रूप में उपयोग नहीं किया जा सका। आईओसीएल ने यह स्वीकार करते हुए कि उपरोक्त संयोग से बहुविध संदेहास्पद कनैक्शनों की पहचान की जा सकती है, आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा साझा किये गए मामलों की फील्ड जांच किये जाने पर उन्होंने पाया किः

क) कुछ मामले वास्तविक थे।

ख) कुछ मामलों में वितरक द्वारा डमी डाटा अपलोड किया गया था क्योंकि मोबाईल नम्बर तथा डीओबी अनिवार्य फील्ड थे।

ग) जहां भी बहुविध कनैक्शन थे, वहां कम्पनी ने आश्वासन दिया कि कार्यवाही की जा रही थी।

(ii) बीपीसीएल ने दर्शाया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित मामलों की संख्या काफी कम थी। यह भी बताया गया था कि मोबाईल नम्बरों का एक अलग मास्टर अद्यतित किया जा रहा था तथा लिगेसी मोबाईल नम्बर अब प्रयोग में नहीं थे। बीपीसीएल ने यह भी बताया कि डाटाबेस में ग्रहण की गई डीओबी डी-डूप्लीकेशन करने के लिए विश्वसनीय नहीं थी।

(iii) एचपीसीएल ने सूचित किया कि एक वितरक के पास समान नाम और अलग अलग कनैक्शनों वाले सभी उपभोक्ताओं को बन्द कर दिया गया है तथा बहुविध कनैक्शनों की जांच के पश्चात सभी दोहरे कनैक्शनों को खत्म कर दिया जाएगा। आगे यह बताया गया था कि समान नाम वाले उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से थे तथा वितरक ने उपभोक्ताओं को पंजीकृत करते समय समान जन्मतिथियां अपलोड कर दी थीं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं द्वारा समान नम्बर से सिलैण्डर बुकिंग की गई बताई गई थी क्योंकि वे ओएमसीज के पारस्परिक भाषा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईवीआरएस) से सुपरिचित नहीं थे। एचपीसीएल ने जन्मतिथियों, मोबाइल नम्बर में सुधार करने तथा प्रयोक्ताओं को आईवीआरएस प्रयोग में प्रशिक्षित करने का आश्वासन दिया।

ओएमसीज के उत्तरों को निम्नलिखित के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है:

(i) सभी तीनों ओएमसीज ने डाटाबेस विशेषकर एलपीजी उपभोक्ता की जन्म तिथि तथा मोबाईल नम्बर की खराब गुणवत्ता को दर्शाया है। बहुविध कनैक्शनों को निकालने के लिए डी-डूप्लीकेशन करने से पहले डाटाबेस की पूर्णता बनाए रखने की आवश्यकता है।

(ii) लेखापरीक्षा ने ओएमसीज द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटाबेस पर अपना विश्लेषण किया। यदि बीपीसीएल के पास उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर के लिए अलग डाटाबेस है तो लेखापरीक्षा को गलत लेगेसी डाटा उपलब्ध कराने के स्थान पर वह उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(iii) आईओसीएल तथा एचपीसीएल के उत्तरों का तात्पर्य है कि वितरकों को कम से कम कुछ मामलों में उपभोक्ता डाटाबेस में डमी डाटा अथवा अपना डाटा भरने की अनुमति थी। अतः डाटाबेस की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर एचपीसीएल द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही नोट की गई है।

4.1.2. अन्तर ओएमसी डी-डूप्लीकेशन

तीनों ओएमसीज ने अलग अलग उपभोक्ता डाटाबेस बनाया है और इसलिए ओएमसीज में बहुविध एलपीजी कनैक्शनों की जांच करने की आवश्यकता है।

(i) समान आधार संख्या वाले बहुविध कनैक्शन

34 प्रतिशत के चयनित नमूने में, लेखापरीक्षा ने देखा कि अलग अलग ओएमसीज में समान आधार संख्या वाले बहुविध कनैक्शन थे जो 'सक्रिय' थे। यह देखा गया था कि 74,180 एलपीजी उपभोक्ता आईडी 37,090 आधार संख्याओं से जोड़ी गई थी जो वहुविध कनैक्शन दर्शाता है जिसका विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका-6: ओएमसीज में समान आधार संख्या वाले कनैक्शनों का विवरण

ओएमसीज का संयोग	आधार नंबरों की संख्या	एलपीजी विशिष्ट उपभोक्ता आईडीज की संख्या
एचपीसीएल एवं आईओसीएल	13,698	27,396
आईओसीएल एवं बीपीसीएल	10,640	21,280
बीपीसीएल एवं एचपीसीएल	12,752	25,504
कुल	**37,090**	**74,180**

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि तीनों अलग अलग ओएमसीज में 69 'सक्रिय' घरेलू एलपीजी आईडी को 23 आधार संख्याओं से जोड़ा गया था (प्रत्येक ओएमसी में एक एलपीजी आईडी)।

ओएमसीज ने निम्न उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2016):

- आईओसीएल ने बताया कि आधार संख्याओं के प्रति इन्ट्रा एवं अन्तर ओएमसी डी-डूप्लीकेशन के लिए सब्सिडी भुगतान से पहले प्रत्येक उपभोक्ता के आधार का पता लगाया गया था।
- बीपीसीएल ने बताया कि वर्तमान में आधार तथा बैंक खाता संख्याओं के लिए अन्तर ओएमसीज आनलाईन डी-डूप्लीकेशन किया जा रहा था तथा लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाये गए मामले वे थे जहां अन्तरण इस डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया की शुरूआत से पहले किये गए थे। कम्पनी ने यह भी सूचित किया कि बहुविध कनैक्शनों की पहचान होने पर केवल सबसे पुराना कनैक्शन रखा गया था और बाकी बन्द कर दिए गए थे।
- एचपीसीएल ने आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित डूप्लीकेट उपभोक्ता कनैक्शन बन्द कर दिये गए थे तथा दूसरी ओएमसी का डूप्लीकेट कनैक्शन वापस करने के बाद ही कनैक्शन पुन: प्रारंभ किया जा रहा था।

ओएमसीज के उत्तर को (अप्रैल/मई 2016) निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जाना है:

(i) आईओसीएल का यह तर्क कि आधार का पता लगाने से डूप्लीकेट की पहचान हो जाएगी, तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि लुकअप तालिका आईओसीएल के संबंध में है तथा सभी ओएमसीज में डूप्लीकेट की पहचान नहीं कर सकती। यह अलग अलग ओएमसीज में बहुविध घरेलू 'सक्रिय' कनैक्शनों की उपस्थिति से सामने आया था, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया गया है।

(ii) बीपीसीएल का यह उत्तर कि लेखापरीक्षा द्वारा सूचित मामले अन्तर ओएमसी डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया से पहले की अवधि से संबंधित है, सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा विचारित डाटाबेस 31 अक्तूबर 2015 से संबंधित है जबकि अन्तर-ओएमसी डी-डूप्लीकेशन मई 2014 में प्रारंभ हुआ था।

(iii) लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर एचपीसीएल द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही नोट की गई है।

(iv) यह देखना भी महत्त्वपूर्ण है कि जहां डूप्लीकेट आधार संख्याओं (सभी ओएमसीज में) की पहचान के लिए ओएमसीज द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई वेब सेवा भावी

उपभोक्ताओं के लिए एक नियंत्रण के रूप में कार्य करेगी, वहीं यह ओएमसीज के वर्तमान डाटाबेस में डूप्लीकेट का पता नहीं लगाएगी जिसके लिए ऐसे डूप्लीकेट को निकालने के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

(ii) समान बैंक आईएफएससी तथा बैंक खाता संख्या वाले बहुविध कनैक्शन

लेखापरीक्षा ने ओएमसीज में समान बैंक खाते वाले बहुविध कनैक्शन के उदाहरण देखें। चयनित नमूने में, 8,847 बैंक आईएफएससी तथा बैंक खाता नम्बरों के प्रति 17,694 'सक्रिय' एलपीजी उपभोक्ता आईडी देखी गई थी जो बहुविध कनैक्शनों को दर्शाता है। विवरण नीचे तालिका बद्ध किये गए हैं:

तालिका-7: सभी ओएमसीज में समान बैंक आईएफएससी तथा खाता संख्या वाले बहुविध कनैक्शनों का विवरण

ओएमसीज का संयोग	बैंक खाताओं की संख्या	एलपीजी विशिष्ट उपभोक्ता आईडी की संख्या
एचपीसीएल एवं आईओसीएल	3,471	6,942
आईओसीएल एवं बीपीसीएल	3,010	6,020
बीपीसीएल एवं एचपीसीएल	2,366	4,732
कुल	**8,847**	**17,694**

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 21 विशिष्ट एलपीजी आईडीज जो सक्रिय थे, को 3 ओएमसीज में 7 बैंक आईएफएससी तथा खाता संख्याओं के साथ जोड़ा गया था।

आईओसीएल ने बताया (अप्रैल/मई 2016) कि उन्होंने लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा पर ऑनलाइन डी-डूप्लीकेशन किया था जिसमें 5,710 अभिलेख अभी भी दोहरे पाए गए थे। इन बैंक खातों को खत्म कर दिया गया था तथा कनैक्शन बन्द किये गए हैं।

बीपीसीएल ने बताया (अप्रैल 2016) कि वर्तमान में अन्तर-ओएमसी बहुविध कनैक्शन चिन्हित किये जा रहे थे तथा कार्यवाही प्रारंभ की गई थी तथा लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाये गए दृष्टॉत अन्तर-ओएमसी डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर आईओसीएल द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही नोट की गई है। यद्यपि, बीपीसीएल का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने मई 2014 में अन्तर ओएमसी डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया की शुरूआत के पश्चात 30 अक्तूबर 2015 से संबंधित डाटाबेस में सभी ओएमसी में डूप्लीकेट बैंक आईएफएसी तथा खाता संख्या चिन्हित किये थे। इसी बीच, एचपीसीएल ने विशिष्ट रूप से इस मुद्दे का उत्तर नहीं दिया था (मई 2016)।

4.2 चिन्हित किये गए बहुविध कनैक्शनों पर ओएमसीज द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति

एनआईसी द्वारा 'नाम एवं पता' के आधार पर तथा ओएमसीज द्वारा 'आधार संख्या तथा बैंक आईएफएससी एवं बैंक खाता संख्याओं के आधार पर की गई डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया के माध्यम से वहुविध एलपीजी कनैक्शनों की पहचान की गई थी। एनआईसी ने प्राप्त हुई वहुविध कनैक्शनों की संदेहास्पद सूची की जांच पहले ओएमसीज द्वारा पहचान तथा पते के प्रमाण के साथ केवाईसी प्रक्रियाओं के भाग के रूप में इन उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के प्रति की गई थी। यदि कनैक्शन बहुविध प्रमाणित हुए थे तो पहला कनैक्शन रखा गया था तथा उपभोक्ता द्वारा बाद में लिए गए सभी कनैक्शन बन्द कर दिए गए थे। बन्द किये गए कनैक्शनों पर किसी सिलैण्डर की आपूर्ति नहीं की गई थी तथा सब्सिडी का अन्तरण नहीं किया गया था। यद्यपि, ऐसे बन्द किये गए कनैक्शनों को बाद में उपभोक्ता द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए कि बन्द किया गया कनैक्शन अद्वितीय था, प्रस्तुत किये गये संशोधित/सही किये गए केवाईसी के आधार पर खोला जा सकता था। यदि ओएमसीज द्वारा स्वयं ही बहुविध कनैक्शनों की पहचान की गई थी, तो केवाईसी प्रक्रिया के भाग के रूप में उपलब्ध सूचना की जांच की प्रतीक्षा किये बिना ही डूप्लीकेट कनैक्शनों को तुरन्त बन्द कर दिया गया था।

जून 2012 से 30 अक्तूबर 2015 तक डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया प्रारंभ होने से चिन्हित किये गए, बन्द किये गए, नियमित किये गए तथा समाप्त किये गए बहुविध कनैक्शनों की ओएमसी-वार स्थिति नीचे दी गई हैः

तालिका-8: सभी ओएमसीज में जून 2012 से 30 अक्तूबर 2015 तक चिन्हित किये गए, बन्द किये गए, नियमित किये गए तथा समाप्त किये गए बहुविध कनैक्शन

(अंकों में)

ओएमसी का नाम	चिन्हित किये गए संदेहास्पद बहुविध कनैक्शनों की सं.	बन्द किये गए कनैक्शनों की सं.	केवाईसी के प्रस्तुतिकरण के पश्चात नियमित किये गए कनैक्शनों की सं.	समाप्त किये गए कनैक्शनों की सं.
आईओसीएल	2,67,06,353	64,40,445	77,21,680	2,02,869
एचपीसीएल	69,86,654	18,73,936	46,26,931	41,485
बीपीसीएल	1,10,67,453	15,10,351	77,12,503	5,712
कुल	**4,47,60,460**	**98,24,732**	**2,00,61,114**	**2,50,066**

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

- जहां ओएमसीज द्वारा जून 2012 से 30 अक्तूबर 2015 तक 4.48 करोड़ बहुविध कनैक्शन चिन्हित किये गए थे, वहीं केवल 0.98 करोड़ कनैक्शन बन्द रहने के साथ 2.01 करोड़ कनैक्शनों को उपभोक्ताओं द्वारा केवाईसी प्रपत्रों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात नियमित किया गया है। कनैक्शनों की कुछ सीमित संख्या अर्थात केवल 2.50 लाख (अक्तूबर 2015 तक) वास्तव में इस कारण से समाप्त की गई थी। अधिकतर कनैक्शन जिन्हें संदेहास्पद बहुविध कनैक्शन होने के कारण बन्द किया गया था, को इस प्रकार बाद में चालू कर दिया गया था।

- एक कनैक्शन को संदेहास्पद बहुविध कनैक्शन होने से अलग कारणों से बन्द किया जा सकता था। तथापि, संदेहास्पद 4.48 करोड़ बहुविध कनैक्शन होने के कारण बन्द किये गए, नियमित किये गए तथा समाप्त किये गए कनैक्शनों की कुल संख्या केवल 3.01 करोड़ (30 अक्तूबर 2015 तक) थी जो दर्शाता है कि 1.47 करोड़ कनैक्शनों के सम्बन्ध में, बन्द करना, नियमित करना अथवा समाप्त करना नहीं किया गया था।

ओएमसीज ने अपने उत्तर (अप्रैल/मई 2016) में पुष्टि की कि सभी संदेहास्पद बहुविध कनैक्शनों को बन्द नहीं किया गया था। बीपीसीएल तथा आईओसीएल ने दर्शाया कि ओएमसीज द्वारा 'अलग नाम समान पता' (डीएनएसए) श्रेणी के उपभोक्ताओं को बन्द नहीं किया गया था। आईओसीएल ने यह भी बताया कि अपनी संशोधित प्रक्रिया में सभी निष्क्रिय कनैक्शनों को 'बहुविध कनैक्शनों के कारण बन्द करना' की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

ओएमसीज के उत्तर के अनुसार एनआईसी द्वारा चिन्हित संदेहास्पद बहुविध कनैक्शनों की डीएनएसए श्रेणी को बन्द नहीं किया गया था। इस प्रकार, चिन्हित किये गए इन डीएनएसए कनैक्शनों के जांच के लिए ओएमसी द्वारा सुधार उपाय नहीं किया गया था। सभी निष्क्रिय कनैक्शनों को बहुविध कनैक्शनों के कारण बन्द किये गए मान लेने की पद्धति, जैसा आईओसीएल द्वारा दर्शाया गया था, चिन्हित किये गए बहुविध कनैक्शनों पर ओएमसीज द्वारा की गई कार्यवाही का गलत परिदृश्य प्रस्तुत करेगी।

4.3 कनेक्शन के ब्लाकिंग और अन-ब्लॉकिंग की प्रक्रिया

लेखापरीक्षा ने 34 *प्रतिशत* चयनित नमूनों में एलपीजी कनेक्शन की ब्लाकिंग और बाद की अन-ब्लाकिंग की प्रक्रिया का आकलन किया। यह पाया गया कि यद्यपि अधिकांश ब्लाक्ड कनेक्शन अंतत: अन-ब्लॉक्ड कर दिए गए थे, कनेक्शन ब्लाकिंग और अन-ब्लाकिंग के कारण और ब्लाकिंग और अन-ब्लाकिंग की तिथियों का पर्याप्त विवरण दर्ज नहीं था।

- आईओसीएल में, 57.95 लाख कनेक्शन ब्लॉक किये गये थे, जिसमें से 30.81 लाख (53.16 *प्रतिशत*) को बाद में अन-ब्लॉक कर दिया गया था। 24.04 लाख मामलों (41.48 *प्रतिशत*) में ब्लाकिंग की तिथि रिकॉर्ड नहीं की गई थी और अन्य 6.71 लाख मामलों (11.58 *प्रतिशत*) में अवैध तिथि (01/02/1900) रिकॉर्ड की गई थी। 9.62 लाख अन-ब्लॉक कनैक्शन (31.22 *प्रतिशत*) में अन-ब्लॉक की गलत तिथि 01/02/1900 बताई गई थी। इसके अलावा यह पाया गया कि 30.81 लाख मामलों में अन-ब्लॉक करने के कारण रिकॉर्ड नहीं किये गये थे।
- एचपीसीएल में, 1.09 करोड़ कनैक्शन ब्लॉक किये गये थे जिसमें से 67.07 लाख (61.53 *प्रतिशत*) बाद में अन-ब्लॉक कर दिये गये थे। ब्लॉकिंग की तिथि 68.14 लाख

मामलों (62.51 *प्रतिशत*) में निर्दिष्ट नहीं थी; जबकि अन-ब्लॉक करने की तिथि 320 मामलों में अवैध थी। ब्लॉक किये गये 74.19 लाख मामलों (68.06 *प्रतिशत*) में ब्लॉकिंग के लिए कारण नहीं दर्शाये गये थे जबकि 19.37 लाख अन-ब्लॉक कनैक्शन (28.88 *प्रतिशत*) में अन-ब्लॉक का कारण 'अन्य' दर्शाया गया।

- बीपीसीएल में, 47.14 लाख कनैक्शन ब्लॉक किये गये थे जिनमें से 31.06 लाख कनैक्शन (65.88 *प्रतिशत*) को बाद में अन-ब्लॉक कर दिया गया था। 4.93 लाख कनैक्शन (10 *प्रतिशत*) के मामले में ब्लाकिंग की तिथि निर्दिष्ट नहीं थी जबकि इनमें 0.67 लाख मामलों में ब्लाकिंग की तिथि और कारण नहीं बताये गये थे। 17.15 लाख ब्लॉक्ड कनैक्शन (36 *प्रतिशत*) के मामलों में ब्लॉकिंग का कारण 'अन्य' दर्शाया गया था।

चयनित एक *प्रतिशत* वितरक (165 वितरक) में ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग प्रक्रिया की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि:

- 27 मामलों में, डुप्लीकेट कनैक्शन को बंद किया जाना दर्शाते हुए अन्य ओएमसी के निरस्तीकरण वाऊचर के आधार पर कनैक्शन अन-ब्लॉक किये गये थे। ऐसे मामलों में, यद्यपि समाप्त किये गये कनैक्शन का स्थाई अग्रिम वसूल किया गया था, बहुविध कनैक्शन के कारण प्राप्त अतिरिक्त सब्सिडी वसूल नहीं की गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए कि किसी उपभोक्ता द्वारा उपयोग किये गये सब्सिडी प्राप्त सिलेंडर की संख्या निरस्तीकरण वाऊचर पर दर्शाई गई, यह चालू एलपीजी कनैक्शन के प्रति समायोजित की जानी चाहिए थी।

निम्नलिखित आधार पर लेखापरीक्षा को ओएमसी ने उत्तर दिया(अप्रैल/मई 2016):

(i) आईओसीएल ने कहा कि ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग की वास्तविक तिथि विश्लेषण हेतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई तालिका (MST_CONSUMER) के स्थान पर अलग तालिका (TBL_ADMIN_ACTION) से प्राप्त की गई थी। यह भी कहा गया कि केंद्रीयकृत इंडोसॉफ्ट सिस्टम पुराने डाटा से भरा हुआ था और 'नये' ब्लाकिंग और अन-ब्लॉकिंग से संबंधित डाटा की जांच की गई और वह ठीक पाया गया था।

(ii) एचपीसीएल ने कहा कि विभिन्न स्रोतों जैसे वितरक स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से, वैब एप्लीकेशन और थोक उपभोक्ता की सेंट्रल ब्लॉकिंग द्वारा सेल अधिकारियों द्वारा ब्लाकिंग कर सिस्टम में कनैक्शन की ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग की गई है। ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग की तिथि एक सिस्टम स्टंप तिथि थी और सिस्टम में स्वचालित रूप से प्राप्त की गई थी। यह भी आश्वासन दिया गया था कि आवश्यक केवाईसी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद और डुप्लीकेट कनैक्शन की वापसी, यदि कोई है, के बाद ही वितरकों द्वारा उपभोक्ता को अन-ब्लॉक किया गया था।

(iii) बीपीसीएल ने कहा कि 2013 से पहले, डाटा विकेंद्रीकृत वितरक सर्वर में अनुरक्षित किया गया था और इन मामलों के लिए सिस्टम में ब्लॉकिंग की तिथि रिकॉर्ड न किये जाने की संभावना थी। केंद्रीकृत सर्वर को स्थानांतरण के बाद, सिस्टम लॉग ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग तिथियाँ प्राप्त करने के लिए अनुरक्षित किये गये थे। यह भी कहा गया कि स्थानांतरण के बाद, ब्लॉकिंग के लिए कारण अधिकतम स्तर तक अनुरक्षित किये गये थे, और अनुमानत: संगत नहीं पाये गये, कोड 'अन्य' के अंतर्गत रखे गये थे।

(iv) ओएमसी ने अभिस्वीकृति दी कि वर्तमान में बहुल कनैक्शन द्वारा किसी उपभोक्ता द्वारा प्राप्त सब्सिडी उपभोग किये गये रिफिल के समायोजन हेतु कोई प्रणाली नहीं है। यद्यपि, वापसी के समय पर बहुत कनैक्शन को जोड़ने के लिए लेखापरीक्षा का परामर्श माना गया था और बाद की प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा।

ओएमसी के उत्तर निम्नलिखित के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है:

(i) ब्लाकिंग और अन-ब्लॉकिंग की तिथियों हेतु विभिन्न प्रविष्टियों के साथ डाटाबेस के विभिन्न सेट के अस्तित्व के संबंध में आईओसीएल का तर्क जोखिम पूर्ण है। विशिष्ट क्षेत्रीय डाटा के रूप में 'तिथि' सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से एकल बिंदु पर प्राप्त की जानी चाहिए और सभी प्रासंगिक तालिकाओं में भरी जाएगी। यह अस्पष्ट है कि विभिन्न तालिकाओं में एक ही क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य क्यों हैं और इसकी उचित रूप से जांच करने की आवश्यकता है।

(ii) ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग तिथियों को स्वत: प्राप्त किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करते हुए, आवश्यक विवरण रहित लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये कई मामलों की संख्या के मद्देनजर ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग कनैक्शन के संबंध में सटीक और पारदर्शी अभिलेख रखने के लिए आगे कार्रवाई अपेक्षित है।

(iii) यद्यपि वीपीसीएल द्वारा बताये गये पुराने डाटा की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, विशेषत: यह ध्यान रखते हुए कि केंद्रीकृत सिस्टम में स्थानांतरण 2013 में किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए 34 *प्रतिशत* जांच किये गये नमूनों में लगभग 17.15 लाख उपभोक्ताओं को ब्लॉक करने के कारण को 'अन्य' के रूप में रिकॉर्ड किया गया था, डाटाबेस में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए ब्लॉकिंग और बाद में अन-ब्लॉकिंग के सटीक कारण बताये जाने और अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

किसी कनैक्शन के निरस्तीकरण के दौरान बहुल कनैक्शन के द्वारा किसी उपभोक्ता द्वारा उपभोग किये गये सब्सिडी वाले रिफिल के प्रस्तावित समायोजन के संबंध में ओएमसीज का आश्वासन नोट किया गया है।

4.4 उपभोक्ता डाटाबेस की समग्रता

झूठे और दोहरे कनैक्शनों को छांटने के लिए उपभोक्ता डाटाबेस की समग्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने डाटाबेस में अवैध प्रविष्टियां पाई जो खराब प्रविष्टि नियंत्रण को दर्शाती हैं और इसलिए, यह उपभोक्ता डाटाबेस की प्रामाणिकता और समग्रता से समझौता है।

4.4.1 उपभोक्ताओं की जन्म तिथि का रिकार्ड न रखना/गलत रिकॉर्ड रखना

एलपीजी कंट्रोल आर्डर यह दर्शाता है कि एलपीजी कनैक्शन केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले उपभोक्ता को ही उपलब्ध कराया जाये। अत:, इस एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस में उपभोक्ता की सही जन्म तिथि लिखना महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 9.94 करोड़ उपभोक्ताओं के कुल नमूने में से, 3.40 करोड़ घरेलू उपभोक्ता (आईओसीएल में 0.30 करोड़, एचपीसीएल में 1.09 करोड़ और बीपीसीएल में 2.01 करोड़) के संबंध में जन्म तिथि नहीं लिखी गई थी। अन्य 55,407 एलपीजी उपभोक्ता अव्यस्क (आईओसीएल में 48,405; एचपीसीएल में 7,001 और बीपीसीएल में एक) पाये गये थे। इसके अतिरिक्त, 73.50 लाख (आईओसीएल में 73.43 लाख, एचपीसीएल में 0.06 लाख और बीपीसीएल में 0.01 लाख) उपभोक्ताओं की जन्म तिथि जनवरी और दिसम्बर 1900 के बीच की थी जो कि संभव नहीं है। दूसरे 2100 उपभोक्ताओं (1,047 आईओसीएल में, एचपीसीएल में 1,053) की जन्म तिथि भविष्य की दर्शाई गई थी जो स्पष्टत: गलत थी।

अपने उत्तर में आईओसीएल (अप्रैल/मई 2016) ने कहा कि जन्म तिथि सिस्टम में उचित नहीं थी क्योंकि पूराना डाटा बिना डाटा परिमार्जन के मौजूदा सिस्टम में स्थानांतरित किया गया था। बीपीसीएल द्वारा इसे पुन: दोहराया गया। एचपीसीएल (अप्रैल/मई 2016) ने कहा कि उनका डाटाबेस बहुत पुराना था और समय-समय पर उसे स्थानांतरित किया गया है तथा इसलिए सभी मामलों में सही जन्म-तिथि अनुरक्षित नहीं की गई थी। सभी ओएमसी ने आश्वासन दिया कि इसके सुधार के लिए कदम उठाये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त ओएमसी ने कहा कि:

- आईओसीएल ने जन्म तिथि के लिए वैध प्रविष्टियां लिखने में त्रुटियां स्वीकार की और स्वीकार किया कि आयु वैधता तर्क चयनित न्यूनतम तिथि जांच नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त, आईओसीएल ने कहा कि सिस्टम प्रतिबंध भी आरंभ किया जाएगा ताकि 1899 से पहले का जन्म वर्ष या अवैध डीओबी की प्रविष्टि न की जा सके। उत्तर में आश्वासन दिया गया कि अव्यस्क के कनैक्शन हेतु भी कार्य योजना बनाई गई थी। क्षेत्रीय कर्मियों को इस बारे में सचेत किया जाएगा और अव्यस्क को कनैक्शन जारी न करने के लिए संबंधित वितरकों को सलाह दी जाएगी। लेखापरीक्षा द्वारा दी गई सूची सत्यापन हेतु साझा की जाएगी और यदि अव्यस्क को कनैक्शन जारी किये पाये गये तो गलत वितरकों पर कार्रवाई की जाएगी और इन्हे बाद में ब्लॉक किया जाएगा। यह भी सूचना दी गई कि सिस्टम नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया कि एलपीजी कनैक्शन अव्यस्क को जारी नहीं किये गये

थे। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सर्वर और ग्राहक डाटाबेस में अपने उपभोक्ता मास्टर में वैध जन्म तिथि और पिन कोड दोनों की वैधता हेतु मापदंड और अद्यतन करने हेतु उपाय में अब आरंभ किये जा रहे हैं, जिनका एक उदाहरण "तिथि सत्यापन लौजिक" है।

- बीपीसीएल ने सूचित किया कि हाल ही में डीओबी फिल्ड क्षेत्र को अनिवार्य बना दिया गया है और सभी नये दिये गये कनैक्शन में यह फिल्ड सही से भरा गया था। सिस्टम नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया है कि आवेदक एक व्यस्क है। अव्यस्क को जारी किया गया कनैक्शन निरस्त कर दिया गया है और विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के अनुसार वितरक के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ की गई है।
- एचपीसीएल (मई 2016) ने कहा कि वितरकों को दस्तावेज सत्यापन के बाद सिस्टम में जन्म तिथि को सही करने का परामर्श दिया है।

ओएमसीज ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और इस संबंध में उनके द्वारा उठाये गये विशिष्ट कदम नोट किए जाते हैं।

4.4.2. पते में पिन-कोड का गलत लिखा जाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 83.34 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता (83.22 लाख आईओसीएल में, एचपीसीएल में 2,969 और बीपीसीएल में 8,904) ने वह पता दिया है जिसमें सेना पिन कोड है। अन्य 80.25 लाख मामलों में (एचपीसीएल में 2.20 लाख और बीपीसीएल में 78.05 लाख), पिन कोड लिये ही नहीं गये और अन्य 3.39 लाख मामलों में (आईओसीएल में 45,332, एचपीसीएल में 275 और बीपीसीएल में 2.93 लाख), छः अंकों से कम के पिन कोड लिखे गये थे।

उत्तर में आईओसीएल (अप्रैल/मई 2016) ने कहा कि इन असामान्यताओं को शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए भावी नये कनैक्शन के लिए प्रणाली नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। बीपीसीएल ने आश्वासन दिया (अप्रैल 2016) कि प्रणाली नियंत्रण में पिन कोड के रूप में केवल छः अंकों को ही स्वीकृत करना सुनिश्चित किया गया है और यह भी कि डाटा

जनगणना 2011 से प्राप्त किया है जिसे जिला-वार पिन कोड की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में डाला जाएगा। एचपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2016) कि उनका एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस बहुत पुराना था और समय-समय पर उसे स्थानांतरित किया गया है और इसलिए पिन-कोड अनुपलब्ध या गलत अनुरक्षित किये गये थे। एचपीसीएल ने आश्वासन दिया कि वे परिष्कृत विशेषताओं और नियंत्रण वाले केंद्रीकृत डाटाबेस जो आगामी समय में उत्तोतर त्रुटियों को खत्म कर देगा; में मौजूदा सॉफ्टवेयर में सुधार करने में प्रक्रियारत है। एचपीसीएल (मई 2016) ने आगे कहा कि वितरकों ने अब दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही सिस्टम में सही पिन-कोड अपलोड किया है।

ओएमसी ने आपत्ति को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा दृष्टांत पर सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की जिसे नोट किया जाता है।

4.4.3. उपभोक्ता डाटाबेस में आधार संख्या का गलत लिखा जाना

आधार संख्या विशिष्ट रूप से किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करता है। इस डाटा की सटीक रिकॉर्डिंग उपभोक्ता डाटाबेस की विशिष्टता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। आधार संख्या में आवश्यक रूप से 12 अंक होने चाहिए और यह कभी भी '0' या '1' से आरंभ नहीं होता। लेखापरीक्षा ने की गई नमूना जांच में आधार संख्या गलत लिखे जाने की घटनाएं पाई जो नीचे दर्शाई गई है:

- आईओसीएल के 188 एलपीजी उपभोक्ताओं, बीपीसीएल के 258 एलपीजी उपभोक्ताओं और एचपीसीएल के 252 एलपीजी उपभोक्ताओं के संबंध में '1' से आरंभ होने वाली आधार संख्या सिस्टम में लिखी पाई गई। इसके अतिरिक्त बीपीसीएल के 62 उपभोक्ता '0' से आरंभ होने वाली आधार संख्या से जुड़े पाये गये थे।
- आईओसीएल और एचपीसीएल द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे सिस्टम ने विनिर्दिष्ट 12 अंकों से कम वाली आधार संख्या को लिखने की अनुमति दी। आईओसीएल में 42 और एचपीसीएल में 14 ऐसे मामले पाये।
- एचपीसीएल में 19,538 सक्रिय एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में आधार संख्या रिकॉर्ड नहीं की गई थी, यद्यपि डाटाबेस में ये उपभोक्ता एसीटीसी उपभोक्ता के रूप में दर्शाये गये थे।

- इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा करते समय गलत लिखी गई आधार संख्या प्राप्त की गई। (अध्याय 6, पैरा 6.1 में विवरण दिया गया है)।

आईओसीएल ने अपने उत्तर में (अप्रैल/मई 2016) यह बताते हुए कि त्रुटियां मामूली थीं (8 करोड़ प्रविष्टियों में केवल 45 प्रतिष्टियां पाई गई) स्वीकार किया कि '1' से आरंभ होने वाली आधार संख्या की प्रविष्टि को रोकने के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई थी। यह आश्वासन दिया गया कि इन उपभोक्ता विशिष्ट आईडी को रोकने के लिए कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और ऐसी अवैध प्रविष्टियां को रोकने के लिए सिस्टम नियंत्रण अब क्रियान्वित कर दिया गया है।

बीपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2016) कि डाली गई गलत आधार संख्या को ठीक करने के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी गई है और इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम नियंत्रण है कि आधार संख्या की लंबाई 12 तक सीमित की गई है।

एचपीसीएल ने कहा (मई 2016) कि आधार नकद स्थानांतरण अनुवर्तन (एसीटीसी) उपभोक्ता के प्रति आधार संख्या की अनुपलब्धता की घटना कई मामलों में पाई गई थी। जहां आधार संख्या स्थानांतरण वाऊचर तैयार करने से पहले सिस्टम से हटा दी गई थी एचपीसीएल ने आश्वासन दिया कि ऐसा कार्य अब रोक दिया गया है और अमान्य और गलत प्रविष्टियों के मामले में, वितरक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अपने सिस्टम में सही आधार संख्या पुन: भरने के द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई कर रहे थे।

ओएमसीज ने लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की। यद्यपि यह पुन: दोहराया गया कि केवल 34 *प्रतिशत* वितरकों से संबंधित लेखापरीक्षा के परिणामों की संवीक्षा की गई और इसलिए ओएमसी को संपूर्ण डाटाबेस का सत्यापन करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ओएमसी को उपभोक्ता डाटाबेस में सटीक आधार संख्या को ही भरा जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह योजना के सहज क्रियान्वयन के लिए प्रमुख प्रविष्टि है।

4.4.4. उपभोक्ता डाटाबेस में एलपीजी आईडी के साथ उपलब्ध आधार संख्या को न जोड़ना

165 वितरकों के चयनित नमूने की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 104 मामलों में, उपभोक्ताओं की आधार संख्या उपलब्ध होने के बावजूद वितरक द्वारा प्रासंगिक एलपीजी आईडी लिंक नहीं की गई थी।

आईओसीएल और बीपीसीएल ने उत्तर (अप्रैल/मई 2016) में कहा कि जनवरी 2015 से पहल (डीबीटीएल) योजना के आरंभ के साथ ही, पार्किंग अवधि के समाप्त होने से पहले अपेक्षित सीटीसी लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये गये थे ताकि इच्छुक उपभोक्ताओं की सब्सिडी समाप्त न हो जाये। नकद स्थानांतरण अनुवर्तन हेतु एटीसी उपभोक्ताओं के पात्र होने के लिए एलपीजी डाटाबेस और उपभोक्ता बैंक दोनों में आधार संख्या भरा जाना आवश्यक था और ओएमसीज/वितरकों/उपभोक्ताओं ने बैंक में आधार संख्या भरे जाने से संबंधित कई समस्याओं का सामना किया; आधार भरे गये उपभोक्ताओं और नकद स्थानांतरण अनुवर्ति उपभोक्ताओं के बीच 10-15 *प्रतिशत* अंतराल होने के परिणामस्वरूप इन उपभोक्ताओं को बैंक में आधार संख्या जोड़ने में समस्याएं आने की संभावना थी। ओएमसीज ने सूचित किया कि मामला पट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष रखा गया है और ओएमसीज को उपभोक्ता असुविधाओं को कम करने के लिए बैंक खातों से आधार जोड़ने में उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में बैंक खाते को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की। ओएमसीज ने भी कहा कि नवम्बर 2015 के बाद, सभी वितरकों को एलपीजी डेटाबेस में आधार संख्या भरने का प्रबल परामर्श दिया गया और परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक एलपीजी डेटाबेस में आधार संख्या भरने में सुधार हुआ।

संबंधित बैंक खातों से आधार संख्या जोड़ने में ओएमसी और उपभोक्ताओं द्वारा प्रकाश में लाई गई समस्याओं का संज्ञान लिया गया है। यद्यपि, उपभोक्ता डाटाबेस और बैंक खातों को साथ-साथ आधार संख्या से जोड़ना डाटाबेस की विशिष्टता सुनिश्चित करने का अधिक सुरक्षित तरीका है और इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी डाटाबेस में एटीसी उपभोक्ताओं की अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए सर्वांगीण आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा ओएमसीज के आश्वासन को ध्यान में रखता है कि आधार सीडिंग की अधिकतम प्रतिशतता के लिए प्रयास अब भी जारी था।

एचपीसीएल के उत्तर में (मई 2016) इस मामले का प्रत्युत्तर शामिल नहीं है।

4.4.5. उपभोक्ता डाटाबेस में आईएफएससी की गलत सीडिंग

उपभोक्ता बैंक के भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी के सीधे स्थानांतरण को प्रभावित करने वाली आवश्यक सूचना है। इनमें बैंक नाम दर्शाने वाले पहले चार अक्षरात्मक संकेताक्षर, पांचवा '0' और अंतिम छः अक्षर बैंक शाखा दशाते हुए कुल ग्यारह अक्षर होते हैं। लेखापरीक्षा ने की गई नमूना जांच में बैंक आईएफएससी को गलत भरे जाने के निम्नलिखित मामले पाये।

- आईओसीएल के 17,852 एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं और बीपीसीएल के 3,714 एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए, बैंक आईएफएससी के रूप में ग्यारह अंकों से कम, गैर-अक्षरात्मक अंक रिकॉर्ड किये गये।
- आईओसीएल के 12,762 और एचपीसीएल के 4,725 अन्य एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, बैंक आईएफएससी में बैंक का नाम दर्शाने वाले पहले चार अक्षरात्मक संकेताक्षर नहीं थे। इनमें से, 253 उपभोक्ताओं के मामले में, बैंक आईएफएससी में छः संख्यात्मक संकेताक्षर थे जबकि अन्य 4,472 उपभोक्ताओं के संबंध में आईएफएससी में केवल नौ संख्यात्मक संकेताक्षर थे।
- इसके अतिरिक्त, एचपीसीएल के 1,691 अन्य सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं के मामले में उनके आईएफएससी और बैंक खातों के प्रति कुछ भी दर्ज नहीं किया गया था जबकि उनकी स्थिति बीसीटीसी है।

यह देखा गया कि उपभोक्ताओं के बैंक खाता संख्या भी ठीक से दर्ज नहीं की गई थी। छः अंको से कम वाले खाता संख्या, अक्षरांकीय संकेताक्षर, विशेष संकेताक्षर देखे गए थे। उपभोक्ताओं के आईएफएससी और बैंक खाता संख्या दर्ज करने में ऐसी असंगतियों से उपभोक्ता सब्सिडी लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे।

आईओसीएल ने उत्तर (अप्रैल/मई 2016) में बताया कि 16,582 मामलों की पहचान की गई है और शुरूआती प्रक्रिया में इन मुद्दों का पता लगाया गया है जहां कुछ आईएफएससीज का

अंतिम अंक कट गया था और यह आश्वासन दिया कि सम्पूर्ण मास्टर डेटा हेतु चिह्नित किए जा रहे मामलों में सुधार किया जाएगा। आईओसीएल ने यह भी कहा कि वितरक की ओर से मैनुअल प्रविष्टि करते समय आंशिक रूप से गलत प्रविष्टि हो सकती है जिनके लिए प्रविष्टिकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के क्रम में बैंक सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले जहां बैंक का नाम दर्शाने वाले पहले चार अक्षर गायब थे, वे बैंकों द्वारा प्रविष्ट किए जा रहे बैंक खाता डाटा आईओसीएल को भेजे जाने का परिणाम था, जैसे कि पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसीबी) जिसने आईएफएससीज का गलत सेट भेज दिया था और इन मामलों को अब सुधारा जा रहा था।

बीपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2016) कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से आईएफएससी मास्टर डाटा प्राप्त करने से पूर्व बीपीसीएल ने आरबीआई साइट से उपलब्ध आईएफएससी मास्टर को अपलोड कर दिया था। बीपीसीएल ने 3,714 मामलों के सत्यापन करने हेतु लेखापरीक्षा से डाटा शेयर करने का अनुरोध किया।

एचपीसीएल ने बैंकों और उपभोक्ताओं के सहयोग से आईएफएससी की जांच करने और उनमें सुधार करने का आश्वासन दिया (मई 2016)। यह भी कहा गया कि सुधार करने के पश्चात् अवैध बैंक खाता संख्याओं वाले सभी उपभोक्ताओं को एसीटीसी में बदल दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा बीपीसीएल को वांछित सूचना प्रदान कर दी गई है। लेखापरीक्षा के कहने पर डाटाबेस में सुधारों हेतु ओएमसीज़ द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नोट किया गया है। गलत आईएफएससी और बैंक खाता दर्ज करने से योजना के अंतर्गत सब्सिडी लाभ लेने से वास्तविक एलपीजी उपभोक्ता वंचित हो सकते हैं और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि आईएफएससी की गलत प्रविष्टि वाले 16,582 मामलों में से 12,678 मामले आईओसीएल में देखे गए थे और साथ ही साथ सक्रिय बैंक नकदी स्थानान्तरण अनुवर्ती (बीसीटीसी) घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में एचपीसीएल में 'शून्य' प्रविष्टि वाले 1,691 मामले देखे गए थे। गलत प्रविष्टि के परिणामस्वरूप इन मामलों में सब्सिडी का गैर-भुगतान हुआ जिनकी मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए और ओएमसीज़ द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी ध्यान देना

प्रासंगिक होगा कि देखी गई ऐसी कमियों को इनपुट डाटा नियंत्रण का एक सेट अनिवार्य करने से इनमें आसानी से सुधार किया जा सकता हैं ताकि उपभोक्ता डाटाबेस की वैधता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

अध्याय 10 में उपरोक्त पहलुओं पर दिये गये निष्कर्षों की प्रतिक्रिया में एमओपीएनजी ने कहा (जून 2016) कि नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए ओएमसीज़ लगातार अंतर और इंट्रा कंपनी डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया का निष्पादन कर रही है। 02 मई 2016 तक डी-डुप्लीकेशन के पश्चात् कुल 3.49 करोड़ एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक किए गए थे।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि ओएमसीज़ द्वारा की गई डी-डुप्लीकेशन में परस्पर कमियां देखी गई थी क्योंकि डी-डुप्लीकेशन करने के बावजूद भी ओएमसीज में और ओएमसीज के बीच में बहुविध कनेक्शन मौजूद थे। डाटा एकीकरण और सत्यापन में कमियों की ऐसी कई घटनायें भी देखी गई थी।

यद्यपि राष्ट्रीय सूचना केंद्र और ओएमसीज़ ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस पर डी-डुप्लीकेशन जांच की थी, लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएमसीज में परस्पर और ओएमसीज के बीच में बहुविध कनेक्शन मौजूद थे। इसके अलावा, बहुविध कनेक्शन होने के संदेह पर ब्लॉक किए गए कनेक्शनों को अधिकांशत: ऐसे अन ब्लॉकिंग के औचित्य संबंधी पर्याप्त अभिलेख बनाए बिना ही अन-ब्लॉक कर दिया गया था। चयनित नमूने की जांच से यह पता चला कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ता डेटाबेस के लिए इनपुट नियंत्रण अपर्याप्त थे, जिससे इसकी सटीकता और एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।